संख्या १५१८ / ७८ आई [illegible]-२००२

प्रेषक,

जी०पटनायक
सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-२ लखनऊ : दिनांक: १६ अगस्त, २००२

विषयः- कम्प्यूटर के एप्लीकेशन्स सॉफटवेयर की क्रय/ विकास प्रकिया का निर्धारण ।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सूचना प्रोघोगिकी नीति के अन्तर्गत शासकीय कार्यो में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रदेश को अगले १० वर्षो में स्मार्ट स्टेट के रूप में प्रस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है । सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत शासकीय विभागों और जन-उपयोगिता से सम्बन्धित सूचनाओं को कम्प्यूटरीकृत करके, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा विभिन्न सरकारी एवं अन्य विभागों के कम्प्यूटरों के परस्पर संयोजन द्वारा सूचनाओं को जन सुलभ बनाया जाना है, जिससे शासकीय प्रणाली एवं सेवाओं में तेजी, कार्य-कुशलता एवं पारदर्शिता स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो ।

२- इसी कम में शासनादेश संख्या-०८/ ७८-आई०टी०-२-२००१, दिनांक-१२ सितम्बर, २००१ द्वारा कम्प्यूटर कय प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था,और अनेक विभागों द्वारा विभागीय कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटरों का कय किया गया है। तथापि सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त एप्लीकेशन साफ्टवेयर अभी कय नही किये गये हैं, अतएव कम्प्यूटरीकरण का समुचित लाभ नही मिल पा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-५०५/७८-आई०टी०-२००१ दिनांक ३०-४-२००१ एवं शासनादेश संख्या-११४२/७८-आई०टी०-२००१ दिनांक ०६-०८-२००१ को समाहित करते हुए , सम्बन्धित विभागों की विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप एप्लीकेशन साफ्टवेयर कय करने / विकसित कराने के कार्य में सुगमता हेतु कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स साफ्टवेयर की क्रय प्रकिया को निम्नवत् स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है।

३- एप्लीकेशन साफ्टवेयर के विकास और उसकी स्थापना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप सम्मिलित होंगेः-

(क) " टर्न- की " आधार पर विभागीय साफ्टवेयर सॉल्यूशन
(ख) विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास
(ग) आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं नेटवर्किंग
(घ) साफ्टवेयर पर प्रायोगिक प्रशिक्षण
(ङ) साफ्टवेयर का रख-रखाव (मेन्टिनेन्स)

४- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप एप्लीकेशन साफ्टवेयर के विकास और उसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार के निगमों यूपीडेस्को तथा यूपीएलसी इलेक्ट्रानिक्स निगम लि० द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आई०टी० कम्पनियों को सूचीबद्ध (Empanel) किया गया है, तथा सम्बन्धित विभाग एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने / विकसित कराने का कार्य इन्हीं सूचीबद्ध आई०टी० कम्पनियों से कराया जायेगा । एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने / विकसित करानेहेतु सम्बन्धित विभाग /सार्वजनिक उपक्रमों,निगमों,परिषदों,स्वायत्तशासी निकायों के पास निम्नलिखित तीन विकल्प होंगे:-

(क) वह क्रय प्रक्रिया अपने स्तर पर आयोजित करे ।
(ख) वह यूपीडेस्को या यू०पी०एल०सी० इलेक्ट्रानिक्स निगम को क्रय आदेश दें ।
(ग) वह सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों को क्रय हेतु अधिकृत करें ।

५- यदि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा शासन स्तर पर स्वयं क्रय प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है तो इसके लिए विभागीय क्रय समिति निम्न प्रकार से होगी :-

१- प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव /सचिव - अध्यक्ष
२- आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रतिनिधि
३- वित्त विभाग के प्रतिनिधि
४- यूपीडेस्को एवं यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स निगम द्वारा नामित विशेषज्ञ
५- सचिव, औद्योगिक विकास (प्रभारी, स्टोर परचेज)
६- एन०आई०सी० के प्रतिनिधि

६- यदि प्रशासनिक विभाग उचित समझे तो क्रय विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी कराया जा सकेगा । ऐसी दशा में क्रय समिति निम्नवत् होगी :-

१- विभागाध्यक्ष
२- विभाग के वित्त नियंत्रक / विभाग में वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख
३- विभाग में कार्यरत राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ
४- यूपीडेस्को एवं यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स निगम द्वारा नामित विशेषज्ञ
५- एन०आई०सी० के प्रतिनिधि

७- शासन अथवा विभागाध्यक्ष / सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों को भी एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय कराने / विकसित कराने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। इस हेतु क्रय समिति निम्नवत् होगी :-

१- सम्बन्धित जिलाधिकारी - अध्यक्ष
२- सम्बन्धित जिले के मुख्य विकास अधिकारी

३- सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (राजस्व विभाग के मामले में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अपर जिलाधिकारी)
४- जिले में तैनात कोषाधिकारी /वरिष्ठ कोषाधिकारी
५- वाह्य तकनीकी विशेषज्ञ (जिलाधिकारी के विवेकानुसार)

यह जिलाधिकारी का विवेक होगा कि वह क्रय उपरोक्तानुसार समिति से करेंगे अथवा वे यूपीडेस्को अथवा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को क्रय आदेश देंगे ।

८- राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संगठनों तथा यथा सार्वजनिक उपक्रमों , निगमों , निकायों, परिषदों , स्वायत्तशासी निकायों द्वारा एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने / विकसित कराने हेतु क्रय समिति निम्नवत् होगी :-

१- सम्बन्धित संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
२- संगठन के वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख
३- संगठन के तकनीकी प्रभाग के प्रमुख
४- संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित २ वाह्य विशेषज्ञ (यूपीडेस्को अथवा यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० अथवा एन०आई०सी० के प्रतिनिधि)

९- एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने/विकसित कराने हेतु स्टोर परचेज रूल्स के सामान्य प्राविधानों व समय-समय पर जारी निविदा एवं अनुबन्ध प्रणाली से सम्बन्धित सामान्य निर्देशों के अनुरूप तथा निम्नलिखित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा :-

(क) एप्लीकेशन साफ्टवेयर सीधे क्रय करने / विकसित कराने का कार्य केवल यूपीडेस्को तथा यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स निगम लि० द्वारा सूचीबद्ध (Empanel) आई०टी० कम्पनियों से कराया जायेगा ।

(ख) एप्लीकेशन साफ्टवेयर सीधे क्रय करने / विकसित कराने की दशा में क्रय प्रक्रिया केवल खुली निविदा द्वारा की जायेगी जो कि दो भागों में - टेक्निकल बिड व फाइनेन्शियल बिड होगी और यह दोनों अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त की जायेंगी । टेक्निकल बिड खुलने के बाद तकनीकी रूप से सक्षम पाई गई निविदाओं की फाइनेन्शियल बिड खोली जायेगी ।

(ग) वांछित विशेषताओं एवं शर्तो का स्पष्ट रूप से उल्लेख टेण्डर डाकूमेन्ट में किया जायेगा और टेण्डर खुलने के बाद इनमें परिवर्तन नही किया जायेगा।

(घ) टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पूर्ण पारदर्शिता अपनाये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग का शासनादेश संख्या- ए-१-११७३/दस-२००१-१०(५५)/२००० , दिनांक २७-४-२००१ के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

१०- साफ्टवेयर आपूर्ति / विकसित करने वाली संस्था ही उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर के रख रखाव हेतु उत्तरदायी होगी ।

११- उक्त आदेश समस्त शासकीय विभागों / शासकीय संगठनों (सार्वजनिक उपक्रम ,परिषद ,,स्वायत्तशासी निकायों) के द्वारा किसी भी वित्तीय स्त्रोत से किये गये क्रय पर लागू होगा ।

१२- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या--ई-६-७१६/X-०२, दिनांक १४-८-२००२ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किय जा रहे है।

भवदीय,

(जी० पटनायक)
सचिव।

संख्या-१५१८(१)/ ७८ आई०टी०-२-२००२ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१- मा०मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव / सचिव
२- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन ।
३- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
४- कृषि उत्पादन आयुक्त के स्टाफ आफिसर को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ ।
५- वित्त (आय-व्ययक) अनु०-१/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-६/वित्त(लेखा) अनु०-१
६- समस्त विभागाध्यक्ष ।
७- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
८- महालेखाकार लेखापरीक्षा- प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद ।
९- संयुक्त निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ ।
१०- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
११- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ ।
१२- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव